Order Sheet (Subsequent)

कार्यालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, (फास्ट ट्रेक), जोधपुर

CNR NUMBER 2021/145

Number of Case A/109/Year 2024

देवीलाल व अन्य ...... Versus ...... भंवरलाल व अन्य

U/S - 212 R.T.A. 1955

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
16/04/26	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित न पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस वकुलाय पर मनन किया गया तथा संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया गया। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र भली-भांति साबित न होने एवं सारहीन होने से खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (sd/-) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर	

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : मधुलिका सीवर आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र सं. : A 109/2024 (GCMS No 2021/145)

– : : अनवान् : : –

प्रार्थीगण :–

1. देवी लाल पुत्र स्व. श्री लिखमाराम, जाति माली उम्र 75 वर्ष निवासी खेडीवाला बेरा मगरा पूंजला, जोधपुर।
2. डा. जया दाधीच धर्म पत्नी श्री नन्द किशोर दाधीच, जाति ब्राहमण, उम्र 47 वर्ष निवासी बिसलपुर हाल अम्बेश्वर नगर मगरा पूंजला जोधपुर।
3. नन्द किशोर दाधीच पुत्र स्व. श्री अम्बालाल, जाति ब्राहमण, उम्र 52 वर्ष निवासी बिसलपुर हाल अम्बेश्वर नगर मगरा पूंजला, जोधपुर।
4. कौशल्या देवी धर्म पत्नी स्व. श्री अम्बालाल, जाति ब्राहमण, उम्र 70 वर्ष निवासी बिसलपुर हाल अम्बेश्वर नगर मगरा पूंजला, जोधपुर।

– : बनाम् : –

अप्रार्थीगण :–

1. छवँर लाल पुत्र स्व. श्री लिखमाराम भाटी, जाति माली निवासी खेडीवाला बेरा मगरा पूजला, जोधपुर।
2. उगम सिंह पुत्र स्व. श्री सीताराम भाटी, जाति माली, निवासी खेडीवाला बेरा मगरा पूंजला, जोधपुर।
3. कल्याण सिंह पुत्र स्व. श्री सीताराम भाटी, जाति माली, निवासी खेडीवाला बेरा मगरा पूंजला, जोधपुर।
4. उम्मेद सिंह पुत्र स्व. श्री सीताराम भाटी, जाति माली, निवासी खेडीवाला बेरा मगरा पूंजला, जोधपुर।
5. कन्नीराम पुत्र स्व. श्री सीताराम भाटी, जाति माली, निवासी खेडीवाला बेरा मगरा पूजला, जोधपुर।
6. कौशल्या पुत्री स्व. श्री सीताराम धर्म पत्नी गोपाल गहलोत, जाति माली, निवासी मंदिर वाला बेरा माता का थान, जोधपुर।
7. विद्या देवी पुत्री स्व. श्री सीताराम धर्म पत्नी लूणसिंह परिहार, जाति माली, निवासी राम सागर मगरा पूंजला, जोधपुर।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

8. सरोज पुत्री स्व. श्री सीताराम धर्म पत्नी नरपतसिंह गहलोत जाति माली, निवासी सांखला बस्ती मगरा पूंजला, जोधपुर।

9. लूणी देवी पुत्री स्व. श्री सीताराम धर्म पत्नी अशोक गहलोत, जाति माली निवासी सुरेन्द्र नगर पाली, राजस्थान।

10. राम कंवरी धर्म पत्नी स्व. श्री सीताराम भाटी, जाति माली, निवासी खेडीवाला बेरा मगरा पूंजला जोधपुर।

11. मंगल सिंह पुत्र स्व. श्री शिवराम भाटी, जाति माली, निवासी खेडीवाला बेरा मगरा पूंजला जोधपुर।

12. हरीशचन्द पुत्र बक्ताराम, जाति माली, निवासी ए17 सर प्रताप कालोनी, एन.सी.सी. भवन के पास एयर फोर्स, जोधपुर।

13. वेद प्रकाश पुत्र स्व. श्री किशनलाल जाति माली, निवासी सांखला बस्ती मगरा पूंजला जोधपुर।

14. ब्रहमसिंह पुत्र नरसिंह भाटी, जाति माली, निवासी नरसिंह जी की प्याउ के पास मगरा पूंजला जोधपुर।

15. प्रेमसुख डागा पुत्र बालूराम, जाति महेश्वरी, निवासी श्रीराम बिल्डिंग के पास महामंदिर चौराहा, जोधपुर।

16. सुशीला देवी महेश्वरी धर्म पत्नी प्रेमसुख डागा, जाति महेश्वरी निवासी श्रीराम बिल्डिंग के पास महामंदिर चौराहा, जोधपुर।

17. वीणा माथुर धर्म पत्नी महेश माथुर, निवासी 16/254 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर।

18. भंवरी देवी धर्म पत्नी मगाराम, जाति जाट, निवासी प्लाट नं. 14–15 राम नगर, गुलाब नगर के पास, आर.टी.ओ. आफिस के पास भदवासिया जोधपुर।

19. अरूण सांखला पुत्र जमनीराम सांखला, जाति माली, निवासी सांखलों का बास मगरा पूंजला, जोधपुर।

20. गायत्री देवी धर्म पत्नी विजय चौहान, जाति माली निवासी मालियों का उमुना बास पीपाड शहर, जोधपुर।

21. संतोष धर्म पत्नी दयाराम चौहान, जाति माली, निवासी सुभाष कालोनी, पीपाड शहर, जोधपुर।

22. छोटा देवी धर्म पत्नी छेलाराम चौहान, जाति माली, निवासी गांधी नगर, पुतराबता पुलिया, मगरा पूंजला, जोधपुर।

23. नेमीचंद पुत्र स्व. [illegible]सिंह भाटी, जाति माली. निवासी खेडीवाला बेरा, मगरा पूंजला, जोधपुर।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

24. मनीषा धर्म पत्नी स्व. शांत जाति माली, निवासी ए–17, सर प्रताप कालोनी, एन.सी.सी. भवन के पास एयर कोर्स, जोधपुर।
25. परसराम पुत्र स्व. नरसिंह भाटी, जाति माली, निवासी खेडीवाला बेरा, मगरा पूंजला जोधपुर।
26. छत्तरसिंह पुत्र स्व. नरसिंह भाटी, जाति माली, निवासी खेडीवाला बेरा गगरा पूंजला जोधपुर।
27. गोकलसिंह पुत्र स्व. बाबूलाल भाटी, जाति माली, निवासी नरसिंह जी की प्याउ के पास पूंजला, जोधपुर।
28. संदीप पुत्र स्व. दलपत पुत्र स्व. बाबूलाल भाटी जाति माली, निवासी खेडीवाला बेरा मगरा पूंजला जोधपुर।
29. मुकेश पुत्र स्व. दलपत भाटी, जाति माली, निवासी खेडीवाला बेरा मगरा पूंजला, जोधपुर।
30. इन्द्रा धर्म पत्नी स्व. दलपत भाटी, जाति माली भाटी, निवासी खेडीवाला बेरा मगरा पूजला जोधपुर।
31. नरपत पुत्र स्व. बाबूलाल गाटी जाति माली निवासी खेडीवाला बेरा मगरा पूंजला जोधपुर।
32. कुसुम पुत्री बाबूलाल धर्म पत्नी पृथ्वीसिंह गहलोत, जाति माली, निवासी दर्जियों की बस्ती मगरा पूंजला जोधपुर।
33. दिनेश पुत्र प्रेमसिंह देवडा, जाति माली, निवासी उजीर सागर आंगणवा रोड जोधपुर।
34. धीरेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह देवडा, जाति माली, निवासी उजीर सागर आंगणवा रोड जोधपुर।
35. विकम पुत्र प्रेमसिंह देवडा, जाति माली, निवासी उजीर सागर आंगणवा रोड जोधपुर
36. मंजू पुत्री प्रेमसिंह देवडा धर्म पत्नी भुन्न सा परिहार, जाति माली, निवासी उजीर सागर आंगणवा रोड जोधपुर।
37. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार तहसील कार्यालय, जोधपुर।
38. भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपायुक्त (उत्तर) जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर।

– : : निर्णय : : – दिनांक : 16.04.2026

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

अधिवक्तागण –

1. श्री कमल किशोर अरोपा अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री सुगनमल परिहार एवं सिद्धार्थ परिहार अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 13, 14, 23, 25, 26

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जोधपुर

3. श्री अवतार सिंह गहलोत एवं हरिसिंह कच्छवाह अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2, 3, 4, 5, 10 व 11
4. एकपक्षीय कार्यवाही अप्रार्थी संख्या 1, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36

उपरोक्तानुसार प्रार्थीगण/वादीगण ने जरिये अधिवक्तागण एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट प्रस्तुत कर निम्नानुसार निवेदन किया है कि –

राजस्व रेकर्ड माफिक खसरा नं. 267 रकबा 23 बीघा 16 बिस्वा किस्म बारानी बमुकाम पूंजला पटवार क्षेत्र भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पूंजला तहसील व जिला जोधपुर में स्थित है जिसके 1/8 हक व हिस्सा में यानि खसरा नं. 267 के पूर्व से पश्चिम तक उत्तरी भू भाग रकबा 02 बीघा 19 बिस्वा 10 बिस्वांशी की कृषि भूमि को आपसी पारिवारिक मौखिक सहमति बंटवाडा माफिक "अंबेश्वर नगर" आवासीय योजना का नाम दिया गया, जिसमें से प्राथी सं. 1 ने प्राथी सं. 2 ता 4 को कमशः 2750, 687.50 व 687.50 वर्ग फुट भू–भाग जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र कारकूट बेचान पर संपूर्ण प्रतिफल राशि प्राप्त की, इस प्रकार निम्न हदुद वाली "अंबेश्वर नगर" आवासीय योजना के एकमात्र मालिक बतौर खातेदार हम प्रार्थीगण के अलावा अन्य कोई शख्स नहीं है गई।

पूर्व में	–	सारण नगर से माता का थान जाने वाला आम रास्ता
पश्चिम में	–	खसरा नं. 265 की कृषि भूगि
उत्तर में	–	खसरा नं. 270 की कृषि भूमि
दक्षिण में	–	खसरा नं. 267 की शेष भूमि जो अप्राथी सं. 1 छंवरलाल के हिस्से में आई हुई है। (जिसे आगे इस प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण की जायदाद अम्बेश्वर नगर आवासीय योजना कृषि भूमि के नाम से सम्बोधित किया जायेगा।

मूलतः प्रार्थी सं. 1 के दादा स्व. श्री रामसुख पुत्र स्व. काश्त की कृषि प्रमण्डाराम जाति माली की बतौर खातेदार मालिक व कब्जा भूमि खसरा नं. 267 रकबा 27 बीघा 04 निस्वा मौजा पूंदला तहसील व जिला जोधपुर में स्थित थी। उपरोक्त रामसुख जी के देहान्त के पश्चात जरिये मृत्यु नामान्तकरण के रामसुख के वारिसान प्रार्थी संख्या 1 के पिता लिखगाराग शिवराम नरसिंह बाबूलाल के नाम बतौर खातेदार मालिक व कब्जा काश्त के राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज हुये और उन्होंने आपसी पारिवारिक मौखिक सहमति बंटवाडा माफिक निम्न नजीरी नक्शा/मानचित्र अनुसार उपरोक्त खसरा नं. 267 की कृषि भूमि को चार बराबर भागों में विभक्त किया जिस पर पृथक पृथक कमशः स्व. लिखगाराम शिवराम नरसिंह व बाबूलाल कमशः 1/4–1/4 हक व हिस्से पर बतौर खातेदार मालिक काबिज हुये। शिवराम के स्वर्गवास के पश्चात जरिये फौतेदगी

सहायक कलक्टर
(कास्ट केस) जोधपुर

नामान्तकरण सं. 67 के शिवराम के स्थान पर उनके पुत्र सीताराम व मंगलसिंह का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ तत्पश्चात खसरा नम्बर 267 रकबा 27 बीघा 04 बिस्वा में से 03 बीघा 08 बिस्वा कृषि भूमि वास्ते सडक राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त सभी हिस्सेदारों की बराबर अधिग्रहण की गई जिसका मुआवजा सभी उपरोक्त सह-खातेदारान द्वारा अपने अपने हिस्से माफिक बराबर प्राप्त किया गया, और खसरा नम्बर 267 रकबा 27.04 बीघा में से उपरोक्त 3.08 बीघा कृषि भूमि वास्ते सडक जरिये नामान्तकरण संख्या 119 के राजस्व रेकर्ड में सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज हुई और इस प्रकार खसरा नम्बर 267 की शेष कृषि भूमि रकबा 23 बीघा 16 बिस्वा के कमशः 1/4 हिस्सा यानि रकबा 05 बीघा 19 बिस्वा पर प्रार्थी सं. 1 व अप्रार्थी सं. 1 के पिता स्व. श्री लिखमाराम 1/4 हिस्सा यानि रकबा 05 बीघा 19 बिस्वा पर स्व. श्री शिवराम के पुत्र सीताराम व मंगलसिह 71/4 हिस्सा यानि रकबा 05 बीघा 19 बिस्वा पर स्व. श्री नरसिंह व 1/4 हिस्सा यानि रकबा 05 बीघा 19 बिस्वा पर बाबूलाल बतौर खातेदार मालिक काबिज रहे। प्रार्थी सं. 1 व अप्रार्थी सं. 1 के पिता लिखमाराम जी व माता जेका देवी का देहांत हो चुका है तथा उनकी पुत्रियां भंवरी देवी, धन्नी देवी व जडाव द्वारा प्रार्थी सं. 1 व अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में हकतर्कनामा निष्पादित करने के कारण दिनांक 22.04.2013 को जरिये नामान्तकरण सं. 3575 के जेका देवी के स्थान पर प्रार्थी सं. 1 व अप्रार्थी सं. 1 का नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हुआ, इस प्रकार उपरोक्त पद सं. 2 में वर्णित खसरा नं. 267 रकबा 23 बीघा 16 बिस्वा में प्रार्थी सं. अप्रार्थी 1 का संयुक्त रूप से 1/4 हक व हिस्सा रहा तत्पश्चात प्रार्थी सं. 1 व अप्रार्थी सं. 1 के बीच भी आपसी पारिवारिक मौखिक सहमति बंटवाडा हुआ जिसके माफिक उपरोक्त पद सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थी सं. 1 व अप्रार्थी सं. 1 के पिता के हिस्से के भू-भाग की भूमि का पूर्व से पश्चिम तक उत्तरी हिस्खा/भू-भाग प्रार्थी सं. 1 के हक व हिस्से में रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा 10 बिस्वांशी आया है जिस पर बतौर खातेदार मालिक कब्जा काश्त के प्रार्थी सं. 1 काबिज हुआ इसी प्रकार उपरोक्त पद सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थी सं. 1 व अप्रार्थी सं. 1 के पिता के हिस्से के भू-भाग की भूमि का पूर्व से पश्चिम तक दक्षिणी हिस्सा/भू-भाग अधार्थी सं. 1 के हक व हिस्सों में रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा 10 विश्वांशी आया है जिस पर बतौर खातेदार मालिक कब्जा काश्त के अप्रार्थी सं. 1 काबिज हुआ इस प्रकार उपरोक्त पद सं. 2 में वर्णित खसरा नं. 267 रकबा 23 बीघा 16 बिस्वा कृषि भूमि में प्रार्थी सं. 1 व अप्रार्थी सं. 1 का कमशः 1/8 हक व हिस्सा यानि कमशः रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा 10 बिस्वांशी भूमि रही।

स्व. श्री शिवराम नरसिंह व बाबूलाल के बारिसान ने आपसी पारिवारिक मौखिक सहमति बंटवाडा माफिक अपने अपने हक व हिस्से माफिक भू-भाग को भूखण्डों में परिवर्तित कर दिया है तत्पश्चात दिनांक 27.12.2016 को अप्रार्थी सं. 38 द्वारा जरिये अवार्ड उपरोक्त पद सं. 2 में वर्णित खसरा नं. 267 रकबा 23 बीघा 16 बिस्वा में से स्व. श्री शिवराम, नरसिंह व बाबूलाल के

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) सत्यमेव जयते जोधपुर

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर

वारिसान की 1882.63 वर्ग मीटर भूमि अधिकरण करना बताया गया तथा अवार्ड राशि अप्रार्थी स. 38 के आदेश दिनांक 25.07.2017 माफिक वितरण की गई मगर अप्रार्थीगण की मिली भगती के कारण उपरोक्त अवाप्ति भूमि का नामान्तकरण आज दिन तक रेवेन्यू रेकर्ड में अमल दरामद नहीं हुआ फिर भी वर्तमान राजस्व रेकर्ड माफिक भूखण्डों के खरीददारों को इस वाद में पक्षकार बनाया गया है। इस प्रकार उपरोक्त पद सं. 2 में वर्णित खसरा नं. 267 रकबा 23 बीघा 16 बिस्वा कृषि भूमि में प्रार्थी सं. 1 का 1/8 हक व हिस्सा यानि रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा 10 बिस्वांशी भूमि में निंविवाद रूप से यथावत रही जिसमें से मात्र अप्रार्थी सं. 2 ता 4 को बेचान किए गए जो उपरोक्त पद सं. 1 में वर्णित है। प्रार्थीगण अपनी उपरोक्त पद सं. 1 में वर्णित हदूद वाले खसरा नं. 267 रकबा 02 बीघा 19 बिस्वा 10 बिस्वांशी भूमि (अम्बेश्वर नगर आवासीय योजना) को विधिवत रूप से राजस्व रेकर्ड में पृथक से अमल दरामद करवाना चाहते है ताकि भविष्य में पक्षकारान के मध्य कोई विवाद उत्पन्न नहीं हो और पक्षकारान के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रह सके। प्रार्थीगण शांतिप्रिय व्यक्ति है जिसका चाल चलन व स्वभाव हमेशा साफ व स्वच्छ रहा है इसलिए दिनांक 30.03.2021 को होली स्नेह मिलन भाईदूज को प्रार्थी सं. 1 ने अप्रार्थी सं. 1 के साथ साथ उपरोक्त स्व. श्री शिवराम नरसिंह व बाबूलाल के वारिसान से आग्रह किया कि वे उपरोक्त अवार्ड माफिक राजस्व रेकर्ड दुरूस्त करवा कर उपरोक्त आपसी पारिवारिक मौखिक सहमति बंटवाडा माफिक काबिज पक्षकारान का राजस्व रेकर्ड में पृथक पृथक भाग अमल दरामद करावें मगर अप्रार्थी सं. 1 के साथ साथ उपरोक्त स्व. श्री शिवराम नरसिंह व बाबूलाल के वारिसान ने प्रार्थी सं. 1 के आग्रह पर कोई गौर नहीं किया। अप्रार्थी सं. 1 के साथ साथ उपरोक्त स्व. श्री शिवराम नरसिंह व बाबूलाल के उपरोक्त वारिसान धनाढ्य व खुंखार व्यक्ति है इसलिए दिनांक 20.04. 2021 को प्रार्थी सं. 1 ने मौजिज व्यक्तियों से समझाईश करवाई मगर उनके अडियल स्वभाव के कारण समझाईश असफल रही और उन्होंने एहलानिया धमकी दी कि हम उपरोक्त अवार्ड माफिक राजस्व रेकर्ड दुरूस्त करवाये बगैर वर्तमान राजस्व रेकर्ड माफिक अपने अपने हिस्से की संपूर्ण भूमि का शीघ्र बेचान कर देंगे मगर प्रार्थी सं. 1 को शांति पूर्वक रहने नहीं देंगे, तब मौजिज व्यक्तियों ने प्रार्थी सं. 1 को न्यायालय की शरण लेने का सुझाव दिया ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के पास अपने हक हकूक व अधिकार सुरक्षित रखने हेतु यह वाद बाबत रेकर्ड दुरुस्ती घोषणा बाई मीटस एंड बाउंडस के बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी के साथ साथ अस्थाई निषेधाज्ञा की डिकी के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं है तथा उपरोक्त वाक्यातों के साथ साथ अप्रार्थीगण के मध्य अपराधिक षडयंत्र होने के कारण धारा 80 सी. पी.सी. के तहत अप्रार्थी सं. 37 व 38 को उपरोक्त वाद हेतु विधिक नोटिस देकर 60 दिवस तक इंतजार करने में प्रार्थीगण पूर्णतया असमर्थ है, परिणामस्वरूप प्रार्थीगण को उपरोक्त विधिक नोटिस से अभिमुक्ति छूट प्रदान किया जाना विधिक रूप से लाजिमी है जिसके लिए प्रार्थीगण पृथक से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रह है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जोधपुर

प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक मूल वाद बाबत राजस्व रेकर्ड की दुरुस्ती घोषणा बाई मीटस एंड बाउंडस बंटवाडा की स्थाई निषेधाज्ञा का वाद न्यायालय हाजा के समक्ष पेश किया है जिसमें दर्ज मजबूत व सुदृढ तथ्यों को देखने मात्र से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण को उपरोक्त मूल वाद में सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है तथा उपरोक्त मूल वाद के वाक्यातों को इस प्रार्थना पत्र का अंग शुमार समझा जावे। इस प्रकार वाक्यातों को देखने मात्र से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का एक प्रथम दृष्टया प्रकरण है सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा अप्रार्थीगण बदनियति पूर्वक येन केन प्रकार से प्रार्थीगण को उनके हक हकूकों व हिस्से से वंचित करने हेतु आमादा है जिसका उनको कोई विधिक अधिकार नहीं है. ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के हक हकुकों के सुरक्षार्थ प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र हाजा बहक प्रार्थीगण विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार कर इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री सादिर फरमाई जाना अति आवश्यक एवं न्यायोचित है कि ता फैसला उपरोक्त मूल वाद के उपरोक्त प्रार्थना पत्र के पद सं.1 में वर्णित प्रार्थीगण की जायदाद अम्बेश्वर नगर आवासीय योजना कृषि भूमि जायदाद में अप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखल अंदाजी हस्तक्षेप व न्यूसेंस न ही तो स्वयं करे और न ही किसी अन्य से करावें अगर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थना पत्र की इस्तदुआ माफिक प्रार्थीगण को न्यायालय हाजा द्वारा अनुतोष नहीं दिलाया गया तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति रूपयों में नहीं आंकी जा सकती है अतः प्रार्थना पत्र पेश है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर इस आशय कि अस्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री सादिर फरमायें कि ता फैसला उपरोक्त मूल वाद के उपरोक्त पद सं. 1 में वर्णित प्रार्थीगण की जायदाद अम्बेश्वर नगर आवासीय योजना कृषि भूमि जायदाद में अप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखल अंदाजी हस्तक्षेप व न्यूसेंस न ही तो स्वयं करे और न ही किसी अन्य से करावें। अन्य कोई अनुतोष बहक प्रार्थीगण विरुद्ध अर्थीगण हो सादिर फरमायें तथा प्रार्थना पत्र व्यय अप्रार्थीगण से दिलावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 2, 3, 4, 5, 10 व 11 की ओर से अधिवक्ता अवतार सिंह गहलोत एवं हरिसिंह कच्छवाह तथा अप्रार्थी संख्या 13, 14, 23, 25, 26 की ओर से अधिवक्ता सुगनमल परिहार एवं सिद्धार्थ परिहार ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। अप्रार्थी संख्या 01, 06 से 9, 12, 15 से 22, 24, 27 से 35 के विरुद्ध आदेशिक दिनांक 27.07.2021 को एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर आदेशिक दिनांक 15.10.2024 को जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया गया। अप्रार्थी संख्या 36 व 37 द्वारा उपस्थित नहीं आने एवं जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर आदेशिका दिनांक 04.08.2025 के द्वारा इनका जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया गया। अप्रार्थी संख्या 13, 14, 23, 25, 26 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु अनेक अवसर दिये जाने के बावजूद भी आज दिनांक तक जवाब प्रार्थना

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जोधपुर

पत्र प्रस्तुत नही करने पर आदेशिका दिनांक 01.07.2025 को इनका जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया गया। अप्रार्थी संख्या 2, 3, 4, 5, 10 व 11 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उभयपक्षकारान् की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अप्रार्थी संख्या 2, 3, 4, 5, 10 व 11 की ओर से अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्नानुसार निवेदन किया हैं कि –

प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित तथ्य इस हद तक स्वीकार हैं कि खसरा नंबर 267 रकबा 23 बीघा 16 बिस्वा का मौखिक बंटवाडा होकर प्रार्थी एवम् अप्रार्थी काबिज है अन्य तथ्य अप्रार्थी की जानकारी में नहीं होने से अस्वीकार है। प्रार्थी के द्वारा अंबेश्वर नगर आवासीय योजना को मौखिक सहमति के आधार पर बनाया गया है। जबकि रेकार्ड मे इस आश्य की कोई प्रविष्टि प्रार्थी के द्वारा नहीं करवाई गई है तथा आज भी जायदाद रेकार्ड के अनुसार सामलाती है। जिसका विधि अनुसार बंटवाडा किया जाना हर तरह से कानून व न्यायसंगत है। वादी के द्वारा अंबेश्वर नगर योजना में विशेष हदूद व नाप खोल कर बेचाननामा निष्पादित करवाये है तो वह विधि अनुसार अपने आप मे शुन्य है। जब तक राजस्व रेकार्ड में बंटवाडा नहीं हो जाता तब तक विशिष्ठ हदूद व नाप खोल कर जायदाद का बेचाननामा निष्पादित नहीं किया जा सकता है। यहाँ यह लिखना भी उचित होगा कि जब मौखिक बंटवाडा किया जा चूका है तो रेकार्ड में भी मौखिक बंटवाडा अनुसार प्रविष्टि किये जाने के बाद ही आगे आवासीय योजना प्रार्थी द्वारा बनाई जानी चाहिए। इसलिए प्रार्थी स्वंय को सदोष लाभ कारित करने के लिए अपनी मनमर्जी से सहमति लिये बिना ही विवादित कृषि भूमि पर आवासीय योजना बनाई है जो गलत व गैर कानूनी है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित तथ्य सही होने से स्वीकार है। माफिक मौके के अनुसार विवादित जायदाद के लिए रिपोर्ट मंगवाई जाकर मौके के अनुसार बंटवाडा किया जाना हर तरह से कानून व न्यायसंगत है। विवादित जायदाद में सीताराम जी भाटी जिनका देहान्त दिनांक 01.10.2018 को हो चुका है उनका फौतेदगी नामान्तरकरण स्वीकृत किया जा चूका है। अप्रार्थी संख्या 6 कौशल्या 7 विद्यादेवी, 8 सरोज व अप्रार्थी संख्या 9 लूणी देवी के द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 उगमसिंह अप्रार्थी संख्या 3 कल्याणसिंह प्रतिवादी संख्या 4 उम्मेदसिंह व कमी अप्रार्थी संख्या 10 रामकंवरी के पक्ष में अपने हक हिस्से के लिए हकतर्कनामा दिनांक 27.08.2021 को निष्पादित कर दिया है जिसका पंजीयन उसी रोज उप पंजीयक चर्तुथ के कार्यालय मे करावा दिया गया है। इस प्रकार सीताराम जी भाटी के हक हिस्से में अब केवल मात्र अप्रार्थी संख्या 2 से 5 व 10 ही मालिक काबिज स्वामी है इसके अलावा अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक अधिकार नहीं है। जिसके कारण सीताराम जी के बंट में आये हक हिस्से जो कि अप्रार्थी संख्या 6 से 9 में निहित हुआ है उसके लिए हकतर्कनामा निष्पादित किये जाने के कारण अप्रार्थी संख्या 6 से 9 के हिस्से को अप्रार्थी संख्या 2 व अप्रार्थी संख्या 10 के हिस्से में घोषित किया जावे तथा सीताराम

सहायक कलक्टर
(कास्ट ट्रेक) जोधपुर

जी के स्थान पर राजस्व रेकार्ड में अप्रार्थी संख्या 2 से 5 व अप्रार्थी संख्या 10 का नाम दर्ज किया जावे। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 3 में वर्णित तथ्य सभी के सम्बन्ध मे अप्रार्थीगण को जानकारी के अभाव में प्रार्थीगण स्वंय साबित करे। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 04 मे वर्णित तथ्य अप्रार्थीगण की जानकारी के अभाव में प्रार्थीगण स्वयं साबित करे।

प्रार्थना पत्र के पद संख्या 05 में वर्णित तथ्य आंशिक रूप से स्वीकार है। अप्रार्थी को वादी द्वारा मिलीभगत के कथन के बारे में कोई जानकारी नहीं है तथा भूखण्डो के खरीददारो के बाबत में अप्रार्थीगण को कोई जानकारी नहीं है तथा अप्रार्थी संख्या 2 से 4 को बेचान की गई भूमि की जानकारी अप्रार्थीगण को नहीं है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 06 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। अप्रार्थीगण किसी भी प्रकार से उक्त सम्पति को बेचने की धमकी या प्रार्थी को नहीं दे रहे है। अप्रार्थी को अवार्ड के बारे में कोई जानकारी नहीं है अप्रार्थी आपसी सहमति से मौखिक बंटवाडा के आधार पर मौके पर काबिज है तथा मौके के आधार पर ही बंटवाडा करवाने को सहमत हैं जिसके लिए मौके की रिपोर्ट मंगवाई जाकर उसके अनुसार बंटवाडा किया जावे तो अप्रार्थीगण सहमत है क्योकि अप्रार्थीगण को अवार्ड की जानकारी नहीं है इसलिए माफिक अवार्ड राजस्व रेार्ड को दुरुस्त नहीं करवाना चाहता है जिसे प्रार्थीगण अपनी स्वयं साक्ष्य से साबित करे। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 07 गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थी जो कि मूल खातेदार के खरीददार मात्र है जिन्हे वाद लाने का अधिकार नहीं है वाद केवलमात्र मूल खातेदारो के द्वारा ही लाया जा सकता है तथा प्रार्थी के पक्ष में निष्पादित बेचाननामो में विशेष हदूद व नाप खोल कर बेचाननामा निष्पादित करवाये है जो बेचाननामा अपने आपमे अवैध व शून्य है। प्रार्थी को मूल खातेदारो के साथ रह कर ही बंटवाडा करवा सकते है जबतक मूल खातेदारों का बंटवाडा नहीं हो जाता है तब तक प्रार्थी संख्या 2 से 4 स्ट्रेन्जर व्यक्ति है जो कि डिवीजन ओफ होल्डींग में किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं रखते है मात्र इसी आधार पर प्रार्थी संख्या 2 से 4 के पक्ष में किसी प्रकार का मामला बनना नहीं पाया जाता तथा प्रार्थी व अन्य अप्रार्थीगण सह खातेदार है जिनके विरुद्ध किसी प्रकार की नहीं स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है नही प्रार्थी अप्रार्थी के पास कभी नहीं आये व अप्रार्थीगण को आपसी सहमति के अनुसार मौके पर बंटवाडा किये जाने का निवेदन किया परन्तु प्रार्थीगण अपनी हठधर्मिता से मन चाही जमीन प्रापत कर बंटवाडा करवाना चाहते है जिसका की कोई अधिकार प्रार्थीगण को नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र का जबाव प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाये मौके के अनुसार विवादित जायदाद का बंटवाडा किया जावे अन्य कोई आदेश जो अप्रार्थीगण के पक्ष में हो पारित फरमावे। अप्रार्थी संख्या 6 ते 9 के हिस्से को हकतर्कनामा किये जाने के कारण अप्राथर्थी संख्या 2 से 5 व 10 के पक्ष में घोषित किया जावे इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड के अनुसार दुरुस्ती की जावे। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

हमने पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन, अवलोकन किया। संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। उभयपक्षकार अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। हम प्रकरण का अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते हैं :—

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादीगण/प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी पूंजला, पटवार हल्का पूंजला, भू.अ.नि. क्षेत्र पूंजला, तहसील जोधपुर, जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 267 रकबा 02 बीघा 19 10 बिस्वांशी की भूमि के संबंध में वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 व 188 बाबत घोषणा, बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर दौराने वाद विचारण अस्थाई निषेधाज्ञा की प्रार्थना की है। प्रार्थना पत्र में वादीगण/प्रार्थीगण का मुख्य कथन यह है कि विवादित भूमि पर उनका वैधानिक अधिकार एवं कब्जा है तथा प्रतिवादीगण द्वारा अवैध हस्तक्षेप एवं भूमि के विक्रय/परिवर्तन का प्रयास किया जा रहा है, जिससे उन्हें अपूरणीय क्षति होने की संभावना है। अतः प्रतिवादीगण को यथास्थिति भंग करने से रोका जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब में यह कथन गया है कि भूमि का पूर्व में बंटवारा एवं उपयोग विभाजन हो चुका है तथा विभिन्न भागों का विधिवत विक्रय एवं नामांतरण भी किया जा चुका है। वादीगण का दावा विवादित एवं तथ्यात्मक रूप से अप्रमाणित है तथा प्रार्थना पत्र निराधार है।

पक्षकारों के तर्कों का अवलोकन करने के पश्चात इस न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय है कि क्या वादीगण प्रथमदृष्टया मामला स्थापित करते हैं, क्या संतुलन की सुविधा उनके पक्ष में है तथा क्या अपूरणीय क्षति की संभावना विद्यमान है।

1. **प्रथम दृष्टया मामला :—**

   पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि विवादित भूमि के संबंध में अनेक पक्षकारों के दावे हैं तथा राजस्व अभिलेखों में स्थिति जटिल एवं विवादित है। भूमि के कुछ भागों का विक्रय एवं हस्तांतरण भी पूर्व में किया जा चुका है। अतः इस स्तर पर वादीगण का प्रथम दृष्टया प्रतीत होने वाला अधिकार स्पष्ट एवं निर्विवाद रूप से स्थापित नहीं होता है। अतः न्यायालय का मत है कि प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला स्पष्ट एवं सुदृढ़ रूप से स्थापित नहीं है।

2. **सुविधा का संतुलन :—**

   सुविधा का संतुलन के संबंध में यह पाया जाता है कि वर्तमान स्थिति में अनेक व्यक्तियों के हित जुड़े हुए हैं। यदि इस स्तर पर निषेधाज्ञा प्रदान की जाती है तो अन्य पक्षकारों के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। अतः संतुलन की सुविधा वादीगण/प्रार्थीगण के पक्ष

में नहीं है। अतः न्यायालय का मत है कि सुविधा का संतुलन किसी एक पक्ष के पक्ष में नहीं सिद्ध होता है।

3. अपूरणीय **क्षति** :–

अपूरणीय क्षति के संबंध में वादीगण/प्रार्थीगण द्वारा सामान्य आशंका व्यक्त की गई है, परंतु ऐसी कोई ठोस परिस्थिति प्रस्तुत नहीं की गई जिससे यह सिद्ध हो सके कि निषेधाज्ञा न दिए जाने पर उन्हें ऐसी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी भरपाई संभव नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि विवाद बहु–पक्षीय एवं जटिल प्रकृति का है तथा भूमि के संबंध में अधिकारों का प्रश्न शामिल है। ऐसे में अंतरिम स्तर पर न्यायालयीय हस्तक्षेप से विवाद और अधिक जटिल होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करने हेतु आवश्यक तीनों तत्व – प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति – का एक साथ स्थापित होना आवश्यक है, जो कि वर्तमान प्रकरण में परिलक्षित नहीं होता है।

अतः उपर्युक्त बिन्दुवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत हैं कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाना उचित एवं विधिसम्मत् समझते है।

: : आदेश : :

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भंली–भांति साबित नहीं होने एवं सारवान नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर संख्या एक से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मधुलिका सींवर)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 16.04.2026 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मधुलिका सींवर)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर